न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
उनवान रामोतार बनाम किशन
मुकदमा नं. T.I. 82/2020

06.12.2021 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकलाय उभय पक्ष प्रार्थना-पत्र T.I. पर पूर्व में सुनी जा चुकी है।

परवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत कार्यवाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र T.I. सव्यय खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकलाय उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया साथ ही माननीय उच्चस्थ न्यायालयों की पेशशुदा न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी का अभिकथन है कि विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 39 ता 43, 50, 51, रकबा 3.56 है०

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर

तन ग्राम भजनगढ़ तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने ख० नं० 08 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा थी। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 की पैतृक भूमि है। उक्त विवादित भूमियों की खातेदारी पूर्व में सेडू, कालू, खांगा पि० गणेशा माली के नाम दर्ज थी। उक्त विवादित भूमियों में खांगा पि० गणेशा का कोई हक हिस्सा नहीं था उक्त विवादित भूमियों के 1/2 हक हिस्सा का हकदार सेडू पुत्र गणेशा (पूर्वज प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 तथा वादपत्र में प्रतिवादी नं० 2 ता 7) तथा 1/2 हिस्सा का हकदार कालू पुत्र गणेशा माली था। उक्त कालू पुत्र गणेशा के 1/2 हिस्सा के संबंध में कोई विवाद नहीं होने तथा उक्त सेडू पुत्र गणेशा की तीन पुत्रों भूदा, छेडू व गोपाल के हक हिस्सा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होने के कारण उनके वारिसान (वर्तमान खातेदारों) को अ० पत्र T.I. एवं मूल वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। मूल विवाद फूला पुत्र सेडू के नाम विरासतन प्राप्त 1/8 हिस्सा को लेकर ही है। उक्त फूला पुत्र सेडू को प्राप्त उक्त 1/8 हिस्सा उसका स्व अर्जित हिस्सा न होकर विरासतन प्राप्त हक हिस्सा है जिसकी पुष्टि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष विचाराधीन पत्रावली सं० 108/83 में पारित निर्णय दिनांक 14-07-1983 से होती है। उक्त फूलाराम को विवादित भूमियों के संबंध में विरासतन प्राप्त हक हिस्से 1/8 में प्रार्थी, अप्रार्थी सं० 1 एवं वादपत्र में प्रतिवादी सं० 2 ता 7 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्मजात उक्त फूला के जीवन काल में प्राप्त हो जाते है। किन्तु उक्त फूलाराम द्वारा विवादित भूमियों में से

न्यायालय .... बनाम ....

उनवान ....

मुकदमा नं. ....

विरासतन प्राप्त 1/8 हक हिस्सा की भूमि का दिनांक 16-10-2018 को अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में उपहार लेख निष्पादित किया गया है जो प्रारम्भत: अवैध शून्य एवं प्रभावहीन है। अत: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का मामला प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा-स्थिति कायम रखने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

दूसरी ओर वकील अप्रार्थी सं. 1 का अभिकथन है कि प्रार्थी द्वारा सेडू पुत्र गणेश के सम्पूर्ण वारिसान की वंशावली पेश नहीं की गई है। प्रार्थी का मूल वादपत्र घोषणा का है जिसमें भूदा, छोटू व गोपाल, कालू के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए O.2, R.9 CPC के तहत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में सेडू की मृत्यु कब हुई तथा प्रार्थी का जन्म कब हुआ का उल्लेख नहीं किया गया है ना ही

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

शीर्षक में प्रार्थी की आयु का उल्लेख किया गया है। उक्त सेहू की मृत्यु दिनांक 19-03-1974 को हुई एवं प्रार्थी का जन्म 06-02-1975 को हुआ। प्रार्थी का सेहू की मृत्यु से पूर्व अर्थात् जीवनकाल में जन्म ही नहीं होने से वादग्रस्त भूमि फूला की स्वअर्जित भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं मूल वादपत्र के प्रतिवादी सं० 2 व 7 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। फूलाराम द्वारा विधि अनुसार अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में उपहार लेख दिनांकित 16-10-2018 निष्पादित किया है जिसको Civil Court से निरस्त करवाये बिना प्रार्थी को विवादित भूमियों बाबत किसी प्रकार की घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र T.I. सव्यय खारिज फरमाया जावे।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर न्यायालय हाजा के समक्ष मुख्य विचारणीय एवं अवधारण योग्य बिन्दु यह हैं कि

① क्या विवादित भूमियों में फूला पुत्र सेहू के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा उक्त फूला पुत्र सेहू का पैतृक हक हिस्सा है अथवा स्वअर्जित ? एवं

② क्या विवादित भूमियों में फूला पुत्र सेहू के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा का उक्त फूला पुत्र सेहू को उपहार लेख निष्पादित किये

आज्ञा-पत्र

दिनांक

जाने का हक अधिकार था?

उक्त दोनो ही प्रश्नों का निर्धारण साक्ष्य का विषय है, जो मूल वादपत्र में गुणावगुण पर ही विनिश्चित किये जावेंगे, किन्तु प्रथम दृष्टया विवादित भूमि में 1/8 हिस्सा फूला पुत्र सेडूराम को विरासतन प्राप्त होना बकुलाय उभय पक्ष के अभिकथनों से साबित है। अत: उक्त विवादित आराजी के उक्त वर्णित 1/8 हिस्सा के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में पाया जाने पर अप्रार्थीगण को तादौराने फैसल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 39 ता 43, 50, 51 रकबा 3.56 है० तन ग्राम भजनगढ़ तह० एवं जिला सीकर के वर्तमान राजस्व राजस्व रेकार्ड में दर्ज 1/8 हिस्सा (अप्रार्थी नं० 1 विजय पुत्र फूलाराम के नाम दर्ज) के वर्तमान राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर

डिक्रम

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/12/2024 को मेरे द्वारा हस्ता-क्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(मुनेश कुमारी)

RAS

सहायक कलक्टर

द्वितीय (सीकर)